🗒️ सत्रीय कार्य (Sessional Work)

विषय: शिक्षा का अधिकार कानून – 2009
पाठ्यक्रम: बी.एड / डी.एल.एड
विषय क्षेत्र: भारतीय शिक्षा व्यवस्था / शिक्षा नीति
छात्र का नाम: _____
शिक्षक का नाम: _____
संस्थान का नाम: _____

🏫 भूमिका (Introduction)

शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है।
यह न केवल व्यक्ति के विकास का माध्यम है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला भी है।
भारत में शिक्षा को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाने के उद्देश्य से
"शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009)" लागू किया गया।

इस कानून ने पहली बार यह सुनिश्चित किया कि
6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक-बालिका को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

📘 शिक्षा का अधिकार कानून का संक्षिप्त परिचय (Overview of RTE Act, 2009)

- **पूरा नाम:** बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

- **अंग्रेज़ी नाम:** The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

- **लागू होने की तिथि:** 1 अप्रैल 2010

- **संबंधित अनुच्छेद:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 21(A)**

- **प्रमुख उद्देश्य:** सभी बच्चों को समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

🧩 अधिनियम की पृष्ठभूमि (Background of the Act)

भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही शिक्षा को सभी तक पहुँचाने के प्रयास होते रहे।
कई नीतियाँ और आयोग बने, परंतु सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो सकी।
86वें संविधान संशोधन (2002) के माध्यम से
अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया, जिसने कहा —

> "6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।"

इसी प्रावधान के आधार पर वर्ष **2009 में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act)** संसद में पारित किया गया।

🎯 उद्देश्य (Objectives of the Right to Education Act)

1. सभी बच्चों को **नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा** उपलब्ध कराना।

2. **समान अवसर** सुनिश्चित करना — चाहे जाति, लिंग, धर्म या वर्ग कोई भी हो।

3. विद्यालयों में **भेदभाव रहित वातावरण** बनाना।

4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए **शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात** तय करना।

5. शिक्षा में **बच्चे-केंद्रित दृष्टिकोण (Child-Centered Approach)** को बढ़ावा देना।

6. प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में **नामांकन, उपस्थिति और पूर्णता** का अधिकार देना।

⚙️ मुख्य प्रावधान (Key Provisions of the RTE Act, 2009)

🔹 1. निःशुल्क शिक्षा (Free Education)

राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान करेगी।
किसी भी विद्यालय में फीस, ड्रेस या किताबों के लिए पैसा नहीं लिया जा सकता।

🔹 2. अनिवार्य शिक्षा (Compulsory Education)

राज्य और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।
हर बच्चे को नामांकन और निरंतर अध्ययन का अवसर मिलना चाहिए।

🔹 3. 25% सीट आरक्षण (25% Reservation in Private Schools)

हर निजी विद्यालय को अपनी कुल सीटों का **25% भाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)** और **वंचित वर्ग (Disadvantaged Group)** के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा।

🔹 4. स्कूलों के मानक (School Standards)

सरकार ने विद्यालयों के लिए कुछ **न्यूनतम आधारभूत सुविधाएँ (Norms)** तय की हैं —

- शिक्षकों का उचित अनुपात
- साफ-सुथरा भवन
- शौचालय, पेयजल और खेल सुविधाएँ
- कक्षाओं का आकार और सुरक्षित वातावरण

🔹 5. शिक्षक योग्यता एवं प्रशिक्षण (Teacher Qualification & Training)

सभी शिक्षकों को **एनसीटीई (NCTE)** द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी।
नियमित प्रशिक्षण और शिक्षक मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है।

🔹 6. कोई बोर्ड परीक्षा नहीं (No Board Examination till Class 8)

कक्षा 8 तक बच्चों को **फेल नहीं किया जाएगा** और सतत मूल्यांकन (CCE System) लागू रहेगा।

🔹 7. दंड का निषेध (Prohibition of Punishment)

विद्यालयों में बच्चों को **शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न** देना कानूनन अपराध है।

🔹 8. स्कूल प्रबंधन समिति (School Management Committee – SMC)

हर विद्यालय में एक **प्रबंधन समिति** बनाई जाएगी जिसमें 75% अभिभावक होंगे।
यह समिति विद्यालय के संचालन, उपस्थिति और संसाधनों पर निगरानी रखेगी।

🧮 शिक्षा के अधिकार कानून की विशेषताएँ (Salient Features)

क्रमांक	विशेषता	विवरण
1	निःशुल्क शिक्षा	कक्षा 1–8 तक बिना शुल्क के शिक्षा
2	अनिवार्यता	सभी बच्चों के लिए अनिवार्य उपस्थिति
3	समान अवसर	भेदभावरहित शिक्षा
4	शिक्षक प्रशिक्षण	योग्य शिक्षकों की नियुक्ति
5	25% आरक्षण	निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए सीटें
6	सतत मूल्यांकन	परीक्षा रहित प्रणाली (CCE)

7 बाल संरक्षण दंड और भेदभाव पर रोक

⚠️ सीमाएँ (Limitations / Challenges)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों और शिक्षकों की कमी।

2. विद्यालयों में अधोसंरचना की कमी (Infrastructure Problems)।

3. निजी विद्यालयों द्वारा 25% आरक्षण का पालन न करना।

4. शिक्षकों का बोझ बढ़ना और प्रशिक्षण की कमी।

5. अभिभावकों में जागरूकता की कमी।

🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम है।
इस कानून ने पहली बार यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
यद्यपि इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह अधिनियम **समानता, न्याय और सर्वांगीण विकास** की दिशा में भारत को आगे बढ़ाता है।

इस कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए
सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज — सभी की समान भूमिका आवश्यक है।

📚 संदर्भ (References)

1. भारत सरकार – *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*
2. एनसीईआरटी – *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (NCF 2005)*
3. डॉ. एस.के. मंगल – *शिक्षा मापन एवं मूल्यांकन*
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय – *शैक्षिक नीतियाँ एवं प्रबंधन*

🔗 **हमसे जुड़ें:**

👉 **Telegram Channel:** RLK Classes

🌐 **Website:** www.rlkclasses.in

सत्रीय कार्य (Sessional Work)

विषय: उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण

पाठ्यक्रम: बी.एड / डी.एल.एड

विषय क्षेत्र: शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन

छात्र का नाम: _____

शिक्षक का नाम: _____

स्रोत: https://rlkclasses.in

🟦 भूमिका (Introduction)

शिक्षा के क्षेत्र में *मापन एवं मूल्यांकन* का विशेष महत्व है।

विद्यार्थियों की प्रगति, क्षमताओं और ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया जाता है।

इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है — **उपलब्धि परीक्षण (Achievement Test)**।
यह परीक्षण यह ज्ञात करने में सहायता करता है कि विद्यार्थी ने किसी विषय में अपेक्षित अधिगम उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है।

🟩 उपलब्धि परीक्षण का अर्थ (Meaning of Achievement Test)

'उपलब्धि परीक्षण' वह उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक यह मापते हैं कि
विद्यार्थी ने किसी पाठ्यक्रम या इकाई के अध्ययन के बाद कितना ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण अर्जित किया है।

परिभाषा:

> "उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी निश्चित शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा को मापने के लिए निर्मित की जाती है।"

अर्थात्, यह विद्यार्थियों की *अधिगम उपलब्धि (Learning Achievement)* का मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन करता है।

🟨 उद्देश्य (Objectives of Achievement Test)

1. विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों का आकलन करना।
2. शिक्षण की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
3. विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं शक्तियों की पहचान करना।
4. भविष्य की शिक्षण रणनीतियों को सुधारना।
5. विद्यार्थियों को आत्ममूल्यांकन का अवसर देना।

🟦 उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया (Steps in the Construction of Achievement Test)

उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं —

1. उद्देश्यों का निर्धारण (Planning the Objectives)

सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि परीक्षण किन अधिगम उद्देश्यों को मापेगा —
जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि।

2. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis)

पाठ्यक्रम या यूनिट को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक भाग से संबंधित प्रश्न बनाए जा सकें।

3. विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण (Specification Table)

एक **टेबुलर रूप (Blueprint)** तैयार किया जाता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि कौन-सा विषय कितने अंकों का होगा और किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे।

4. प्रश्नों का निर्माण (Writing of Items)

निर्धारित उद्देश्यों और विषयों के अनुसार प्रश्न तैयार किए जाते हैं।
इनमें वस्तुनिष्ठ (Objective), अल्प उत्तरीय (Short Answer), तथा विस्तृत उत्तरीय (Essay Type) प्रश्न शामिल होते हैं।

5. परीक्षण का प्रारूप तैयार करना (Preparation of Test Draft)

सभी प्रश्नों को एक क्रम में रखकर *प्रारूप (Draft Test)* बनाया जाता है।
इसमें निर्देश, समय सीमा और अंक वितरण स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं।

6. परीक्षण का पूर्व परीक्षण (Try-out of the Test)

तैयार किए गए प्रश्नपत्र को विद्यार्थियों के एक छोटे समूह पर लागू किया जाता है, जिससे कठिनाई स्तर, समय उपयुक्तता और स्पष्टता का मूल्यांकन किया जा सके।

7. वैधता और विश्वसनीयता की जाँच (Validation and Reliability)

परीक्षण को सांख्यिकीय विधियों द्वारा परखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वैध (Valid) और विश्वसनीय (Reliable) है।

8. अंतिम रूप देना (Finalization of Test)

सभी त्रुटियों को सुधारने के बाद अंतिम प्रश्नपत्र तैयार किया जाता है।

🟩 उपलब्धि परीक्षण के प्रकार (Types of Achievement Tests)

1. **प्रशिक्षक निर्मित परीक्षण (Teacher Made Tests) —**
   जो शिक्षक स्वयं अपने विद्यार्थियों के लिए तैयार करता है।
   जैसे – यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट आदि।

2. **मानकीकृत परीक्षण (Standardized Tests) —**
   जो विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक विधियों से तैयार किए जाते हैं।
   जैसे – राज्य या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ।

🟦 उपलब्धि परीक्षण के लाभ (Advantages)

- विद्यार्थियों की सीखने की वास्तविक स्थिति का पता चलता है।
- शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है।

- यह आत्ममूल्यांकन एवं सुधार का अवसर प्रदान करता है।
- शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है।

🟥 उपलब्धि परीक्षण की सीमाएँ (Limitations)

1. यह विद्यार्थियों की रचनात्मकता को पूर्ण रूप से नहीं माप पाता।
2. मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता (Subjectivity) की संभावना रहती है।
3. समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है।
4. केवल अंक आधारित दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

🟩 निष्कर्ष (Conclusion)

उपलब्धि परीक्षण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक अंग है।
यह न केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापता है,
बल्कि शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता को भी दर्शाता है।
यदि इन परीक्षणों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए,
तो यह शिक्षा के स्तर को सुधारने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

🔗 **स्रोत:** https://rlkclasses.in
📲 **टेलीग्राम चैनल:** https://telegram.me/rlk_classes